<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा</u>

मु0नं0ः– 06/2024 **तारीख रजूः–07.05.2024**
जी0सी0एम0एस0 नंबरः– 2024/32
पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. सुगना पत्नि सीताराम रैगर, उम्र 50 वर्ष, माता का नाम लाडा देवी निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. सीताराम पुत्र पांचूलाल रैगर, उम्र 52 वर्ष माता का नाम धापू देवी निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

–अप्रार्थी

<u>उपस्थितः:–</u>
प्रार्थीगण वकीलः–श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट
अप्रार्थी वकीलः–तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

निर्णय दिनांकः– 22.11.2024

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट</u>

<u>–ः निर्णय :–</u>

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5671/2981 रकबा 0.2500 है0 वाके ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। आवेदकगण की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर 2981 रकबा 0.0500 है0 में होकर है। आवेदकगण की वाके ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ बी तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5671/2981 रकबा 0.25 है0, पर जाने हेतु 15 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाकर नक्शाशीट में अंकन फरमाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर प्रकरण में मौके की रिपोर्ट चाही गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/1175 दिनांक 20.06.2024 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की जो निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:31 IST
Reason: SelfAttested

- यह है कि प्रार्थीयान सुगना पत्नि सीताराम एवं सीताराम पुत्र पांचूलाल जाति रैगर की ग्राम शिवाड़ के खसरा नंबर 5671/2981 रकबा [illegible] है0 खातेदारी भूमि है, जिस पर पहुंच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

- यह है कि उक्त खातेदारों ने खसरा नंबर 5671/2981 पर जाने के लिये खसरा नंबर 2981 (सिवायचक भूमि) में से 15 फिट रास्ता दिये जाने हेतु आवेदन किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

- ➢ यह है कि उक्त खसरा नंबर पर पहुंच के लिये प्रार्थीयान को वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता है। मौके पर सिवायचक खसरा नंबर 2982 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी 1 में बने कदीमीरास्ते से सिवायचक खसरा नंबर 2981 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी 1 में होकर खातेदारी खसरा नंबर 5671/2981 पर पहुंचने का लघुत्तम दूरी का रास्ता है।

- ➢ यह है कि खसरा नंबर 2981 सिवायचक में से 19.25 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 77 वर्गमीटर, जिसकी डीएलसी दर के अनुसार राशि 5347/– रूपये की दुगुनी राशि 10694/– रूपये जमा किया जाकर रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

4. बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

5. हमने वकील प्रार्थी की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। संलग्न भू0अ0निरीक्षक मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 के अनुसार आवेदक की खातेदारी खसरा नंबर 5671/2981 पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 2981 में से ही एकमात्र रास्ता होना बताया है। प्रार्थीगण की ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित खातेदारी भूमि 5671/2981 रकबा 0.25 पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5671/2981 रकबा 0.25 है0 पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 2981 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी 1 से लघुत्तम रास्ता पड़ता है।

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए उन्हे खसरा नंबर 2981 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी 1 में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 5671/2981 रकबा 0.25 है0 पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 2981 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी 1 में से 19.25 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 77 वर्गमीटर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर उपलबध करायें। इस हेतु डीएलसी दर के अनुसार राशि 5347/– रूपये की दुगुनी राशि 10694/–रूपये प्राथीगणों से प्रतिकर के तौर पर प्राप्त की जाकर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 22.11.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:24:31 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा